डीजी परिपत्र संख्याः 38 /2014

ए0एल0 बनर्जी,
आई.पी.एस.

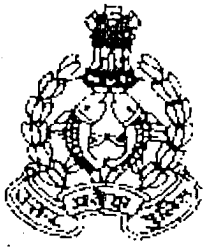

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःजून 07,2014

विषय- बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों के घटित होने पर त्वरित कार्यवाही सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराधों की विवेचना व अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में पार्श्वांकित आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। इन अपराधों के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) अपील नम्बर 5073/2011 स्टेट आफ कर्नाटक द्वारा नोनावीनाकेरे पुलिस बनाम शिवाना उर्फ ट्रकारी शिवना में बलात्कार की घटना घटित होने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये हैं।

अ0शा0 परिपत्र संख्या-डीजी-03/2013 दि0 17.1.13
डीजी-सात-एस-2ए (निर्देश)/2013 दि0 12.4.2013
अ0शा0 परिपत्र संख्या-13/2013 दि0 17.04.13
अ0शा0 परिपत्र संख्या-डीजी-सात-एस-(44)/2013 दि0 24.5.13
अ0शा0 परिपत्र संख्या-डीजी-41/2013 दि0 1.8.13
अ0शा0 परिपत्र संख्या-डीजी-58/2013 दि0 17.10.13

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में Mandamus के द्वारा अन्तरिम दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैंः-

- बलात्कार का अपराध घटित होने की सूचना प्राप्त होने पर विवेचक पीडिता को तुरन्त महानगरीय/न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान अंकित किये जाने हेतु कार्यवाही करेगा। बयान की एक प्रति विवेचक न्यायालय से प्राप्त करेगा। विवेचक इस बात का ध्यान रखेगा कि बयान में अंकित तथ्यों को धारा 173 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र अथवा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने तक किसी के समक्ष प्रकट न किया जाये। इस सम्बन्ध में प्रभावी गोपनीयता बनाये रखी जाये।
- विवेचक, जहॉ तक सम्भव हो, पीडिता को निकटतम महिला महानगरीय/महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- विवेचक बलात्कार का अपराध होने की सूचना प्राप्त होने एवं पीडिता को महिला महानगरीय/महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि व समय अभियोग दैनिकी में अंकित करेगा।
- यदि पीडिता को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने में 24 घण्टे से अधिक समय लगता है तो विवेचक अभियोग दैनिकी में इसका कारण अंकित करेगा और इसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

- पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण धारा 164(ए)द्रं0प्र0सं0 के अनुसार विवेचक द्वारा तुरन्त कराया जाएगा तथा इसकी एक प्रति तत्काल धारा 164 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित करने वाले मजिस्ट्रेट को हस्तगत करा दी जाये।

2. अपेक्षा की जाती है कि इन आदेशों की एक प्रति प्रत्येक थाने पर भिजवाते हुए उन्हें निर्देशित करें कि उपरोक्त प्रक्रिया बलात्कार के उन प्रकरणों में अपनायी जायेगी, जो इस आदेश प्राप्ति के दिन व उसके बाद पंजीकृत किये जाते हैं।

3. मै अपेक्षा करता हूँ कि आप बलात्कार के प्रकरण में संवेदनशील होकर उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाऐंगें।

भवदीय,

02/02/14

(ए0एल0बनर्जी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।
6.निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।
7.निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उ0प्र0 लखनऊ।